106/2016 रामपत v/s रामारम वगैरा

27.6.17 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.सड़ा मे पेश हुई। वकील प्रार्थीगण व विप्रार्थी स.6 व 7 के वकील उपस्थित।शेष विप्रार्थी बावजुद सुचना के अनुपस्थित। वकील विप्रार्थी की ओर से लम्बे समय से जबाव पेश नही किया जा रहा है,जो विप्रार्थी का जबाव बन्द किया जाता है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस कर मनन किया गया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया,जिसमे पाया कि प्रार्थीगण की ओर से मूलवाद धोषाणात्मक एवं बंटवाड़ा का पेश किया गया है,जो मूलवाद मे साक्ष्य सबुतो के आधार पर तय किया जावेगा।लेकिन वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण विवादित भुमि के खातेदार नही है,तो उन्हे क्षति होने की कोई संभावना नही है। जबकि विप्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है और रिकार्डड खातेदारान को स्थगन आदेश से पाबंद नही किया जा सकता है। ऐसी सूरत मे हस्तगत प्रकरण मे जारी अन्तरिम स्थगन आदेश निरस्त योग्य है। न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध है,जिससे साबित होता है,कि प्रार्थी विवादित भूमि मे जारी स्थगन आदेश को आगे भी जारी रखवाने का हकदार हो। एवं हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीन बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नही बनते है। **लिहाजा हस्तगत प्रकरण मे जारी अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 16.9.2015 को निरस्त करते हुए प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।**

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

27/6/17

सहायक कलेक्टर
SDO शिवपुरी